राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक प.6(35)प्र.सु./अनु.–3/2020 दिनांकः– 2/9/2020

आज्ञा

बजट घोषणा वर्ष 2020–21 पैरा 319.0.0 के क्रियान्वयन के क्रम में, राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के रेशनलाइजेशन एवं प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समितियां गठित की जाती है :–

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
3. शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार सेवायें
4. वंचित वर्गो का कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा

समितियों की सदस्यताः–

क्र.सं.	क्षेत्र	सदस्य
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि (अध्यक्ष) 2. शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन 3. आयुक्त, नरेगा 4. आयुक्त, कृषि (सदस्य सचिव) 5. पंजीयक, सहकारिता विभाग 6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 7. शासन सचिव, वन विभाग 8. निदेशक, वाटरशेड प्रशासनिक विभाग – कृषि विभाग
2.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (अध्यक्ष) 2. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा 3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास 4. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा 5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, RSHAA 6. मिशन निदेशक, एन. एच. एम 7. निदेशक, परिवार कल्याण 8. निदेशक, जन स्वास्थ्य (सदस्य सचिव) प्रशासनिक विभाग– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3.	शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार सेवायें	1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (अध्यक्ष) 2. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 3. शासन सचिव, श्रम, रोजगार, कौशल एवं उद्यमिता 4. आयुक्त, संस्कृत शिक्षा 5. आयुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकास 6. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा (सदस्य सचिव) 7. प्रबंध निदेशक, आर. एस. एल. डी. सी. 8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 9. निदेशक, कॉलेज शिक्षा

		प्रशासनिक विभाग– स्कूल शिक्षा विभाग
4.	वंचित वर्गो का कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा	1. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, (अध्यक्ष) 2. आयुक्त, विशेष योग्य–जन 3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास 4. आयुक्त, बाल अधिकारिता 5. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (सदस्य सचिव) 6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा 7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा 8. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात प्रशासनिक विभाग– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आयोजना तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर) उक्त सभी समूहों में सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन क्रमशः आयोजना एवं वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा। आवश्यकता होने पर अन्य संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों/ प्रतिनिधियों को समितियों की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकेगा।

समिति के विचारणीय बिन्दूओं (Terms of Reference) का विवरण निम्नानुसार है–

1. विभाग/विभागों द्वारा समान उद्देश्य/लाभान्वित वर्ग हेतु संचालित भिन्न–भिन्न योजनाओं के एकीकरण अथवा उन्हें एक Umbrella Scheme के अन्तर्गत लाने हेतु सुझाव देना।
2. राज्य निधि मद से संचालित विभिन्न योजनाओं की व्यापकता, प्रभाव, प्रदत्त लाभ, पात्रता की शर्ते, लाभार्थी वर्ग व उनकी संख्या तथा वर्तमान में उनके संचालन की व्यावहारिकता की समीक्षा कर उन्हें बन्द करने अथवा संशोधित रूप में संचालित करने के संबंध में सुझाव देना।
3. योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनावश्यक/अनुपयोगी टोकन प्रावधानों को समाप्त करने संबंधी अनुशंषा करना।
4. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में उपलब्ध फ्लेक्सी फण्ड का राज्य की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं अनुसार अधिकाधिक उपयोग एवं नवाचारों के संबंध में सुझाव देना।
5. राज्यनिधि मद में संचालित ऐसी योजनाएं जिनमें प्रदत्त लाभ एवं लाभार्थी केन्द्रीय योजनाओं में से लाभान्वित किए जा सकते हैं उनको चिंहित करने तथा उनको जारी रखने, बंद करने या संशोधित करने के संबंध में सिफारिश करना।
6. योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व प्रबंधन हेतु Best Practices को अपनाने/लागू करने के संबंध में सुझाव देना।

उक्त बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी समितियों का कार्यकाल 31 मार्च, 2021 तक होगा। समितियों द्वारा अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर, 2020 तक आवश्यक रूप से आयोजना विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

2.9.2020

(अरुण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उपशासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.....
5. समस्त विभागाध्यक्ष (योजनाओं से संबंधित).....
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना/आयोजना–वित्त/संस्थागत–वित्त/जनशक्ति।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–5) विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

2.9.2020

संयुक्त शासन सचिव